# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

## प्रगति प्रतिवेदन 2012–13

# अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं अधिकारियों की सूची | 1 |
| 2. | स्टॉफ (पदों) की सूची | 2 |
| 3. | राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना | 3 |
| 4. | आयोग में वित्तीय प्रावधान | 4 |
| 5. | प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण (तालिकायें) | 5–7 |
| 6. | विभिन्न परिवाद एवं निर्णय | 8–18 |
| 7. | आयोग के माननीय श्री एच.आर. कुड़ी द्वारा निरीक्षण, सभायें एवं मीटिंगों का विवरण (01.04.2012 से 31.03.2013) | 19–24 |
| 8. | आयोग द्वारा सम्पादित मुख्य कार्यों का विवरण | 25 |
| 9. | डी.के. बसु प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश | 26–27 |
| 10. | राज्य आयोग के कार्य एवं शक्तियां | 28–29 |
| 11. | आयोग में शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई की प्रक्रिया | 30–31 |
| 12. | माननीय श्री एच.आर. कुड़ी | 32 |
| 13. | माननीय डॉ. एम. के. देवराजन | 33 |
| 14. | समाचार पत्रों में आयोग की खबरें | 34–38 |
| 15. | आयोग के दूरभाष नम्बर | 39 |

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

## दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक आयोग में कार्यरत माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण का विवरण

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | पद | अवधि | निवास का पता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एच.आर. कुड़ी | अध्यक्ष | 01.09.2011 से लगातार | (बी–3), 1/27, गांधी नगर, जयपुर |
| 2. | डॉ. एम.के. देवराजन | सदस्य | 01.09.2011 से लगातार | 26, पामकार्ट कॉलोनी, जी.एस. शूटिंग रेंज, जगतपुरा, जयपुर |
| 3. | श्री रविशंकर श्रीवास्तव | सचिव | 05.04.2010 से 05.10.2011 तक | 96, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल, जयपुर |
| 4. | श्री जंगा श्रीनिवास राव | सचिव | 05.10.2011 से लगातार | 2/25, गांधी नगर, जयपुर |
| 5. | श्री जंगा श्रीनिवास राव | महानिरीक्षक पुलिस | 05.04.2010 से लगातार | 2/25, गांधी नगर, जयपुर |
| 6. | श्रीमती संचिता बिश्नोई | उप सचिव | 30.03.2012 से लगातार | 101, ए–39, तिलक नगर, जयपुर |
| 7. | श्री विक्रम प्रकाश शर्मा | उप पंजीयक | 01.08.2007 से 07.05.2012 तक | सी–245, सिद्धार्थ नगर जयपुर |

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
# स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

| क्र. सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त | पद का पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | एक | एक | कार्यवाहक | 90000/- फिक्स |
| 2. | सदस्य | दो | दो | - | 80000/- फिक्स |
| 3. | सचिव | एक | एक | - | 37000-67000+10000 |
| 4. | महानिरीक्षक पुलिस | एक | एक | - | 37000-67000+10000 |
| 5. | रजिस्ट्रार | एक | - | एक | 37000-67000+10000 |
| 6. | उप सचिव | एक | एक | - | 15600-39100+7600 |
| 7. | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | एक | - | एक | 15600-39100+7600 |
| 8. | उप पंजीयक | एक | - | एक | 15600-39100+7200 |
| 9. | सहायक लेखाधिकारी | एक | - | एक | 15600-39100+7200 |
| 10. | प्रमुख निजी सचिव | एक | - | एक | 9300-34800+10000 |
| 11. | निजी सचिव | चार | एक | तीन | 9300-34800+6600 |
| 12. | निजी सहायक | छः | - | छः | 9300-34800+4200 |
| 13. | लेखाकार | एक | एक | - | 9300-34800+4200 |
| 14. | कार्यालय अधीक्षक | एक | - | एक | 9300-34800+4200 |
| 15. | कार्यालय सहायक | दो | - | दो | 9300-34800+3600 |
| 16. | प्रोग्रामर | एक | - | एक | 9300-34800+5400 |
| 17. | सहायक प्रोग्रामर | एक | एक | - | 9300-34800+3600 |
| 18. | सूचना सहायक | एक | एक | - | 9300-34800+2800 |
| 19. | उप पुलिस निरीक्षक | दो | - | दो | 9300-34800+4200 |
| 20. | हेड कानिस्टेबल | एक | - | दो | 5200-20200+2800 |
| 21. | कानि./अर्दली | तीन | - | तीन | 5200-20200+2400 |
| 22. | वरिष्ठ लिपिक | छः | तीन | तीन | 5200-20200+2800 |
| 23. | कनिष्ठ लिपिक | आठ | तीन | पांच | 5200-20200+2400 |
| 24. | वाहन चालक | छः | चार | दो | 5200-20200+2400 |
| 25. | प्रोसेस सर्वर | तीन | - | तीन | 5200-20200+1650 |
| 26. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | दस | दस | - | 5200-20200+1650 |
| 27. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक्स सर्विसमैन/होमगार्ड | तीन | तीन | - | - |
| | **कुल योग** | **सत्तर** | | | |

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना

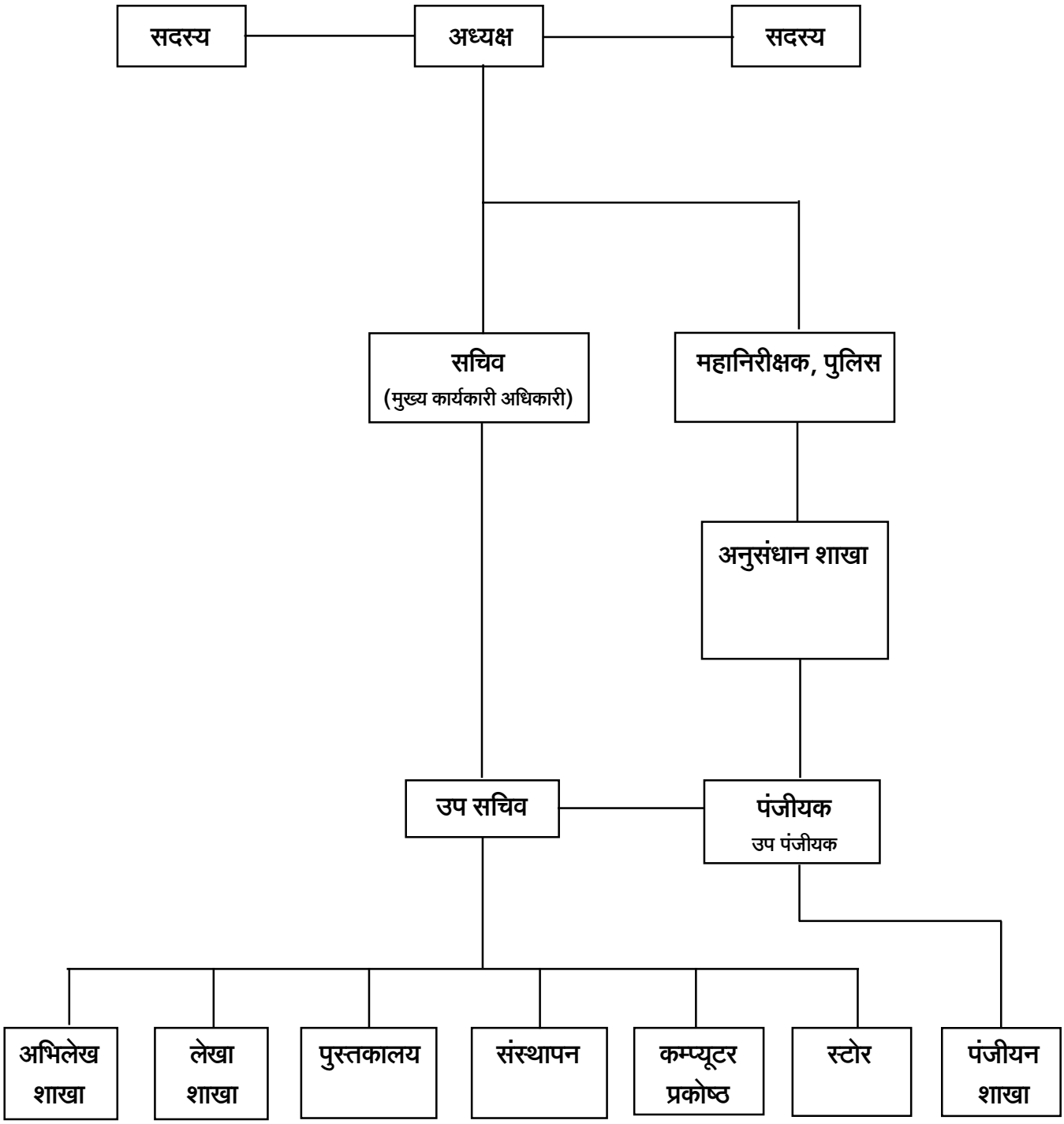

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

**बिन्दु संख्या–4**

**वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण**

| | |
|---|---|
| बजट शीर्षक | 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02–समाज कल्याण<br>190– सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता<br>102– राज्य मानवाधिकार आयोग<br>12– सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन<br>(आयोजना भिन्न)<br>92– सहायतार्थ अनुदान संवेतन<br>(आयोजना भिन्न) |

**वित्तीय वर्ष 2012–13**

| **मद** | **आवंटित बजट/प्रावधान (लाखों में)** | **वास्तविक खर्च (लाखों में)** |
|---|---|---|
| वेतन | 144.85 | 145.00 |
| गैर–संवेतन | 68.00 | 73.15 |
| **योग** | **212.85** | **218.15** |

**उप सचिव**

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

## 1 अप्रेल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण

| क्र. सं. | जिले का नाम | कुल प्राप्त प्रकरण | प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण | बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण | जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण | परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण | कुल निस्तारण (4+5+6+7) | बकाया प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अजमेर | 208 | 82 | 38 | 26 | 0 | 146 | 62 |
| 2. | अलवर | 269 | 79 | 0 | 61 | 0 | 140 | 129 |
| 3. | बारां | 67 | 28 | 0 | 10 | 0 | 38 | 29 |
| 4. | बांसवाड़ा | 60 | 24 | 14 | 9 | 0 | 47 | 13 |
| 5. | बाड़मेर | 89 | 26 | 17 | 15 | 0 | 58 | 31 |
| 6. | भरतपुर | 241 | 88 | 66 | 28 | 0 | 182 | 59 |
| 7. | भीलवाड़ा | 163 | 85 | 27 | 21 | 0 | 133 | 30 |
| 8. | बीकानेर | 120 | 51 | 15 | 16 | 0 | 82 | 38 |
| 9. | बूंदी | 98 | 35 | 24 | 9 | 0 | 68 | 30 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 103 | 55 | 15 | 16 | 0 | 82 | 38 |
| 11. | चूरू | 49 | 21 | 0 | 5 | 0 | 26 | 23 |
| 12. | दौसा | 155 | 51 | 36 | 19 | 0 | 106 | 49 |
| 13. | धौलपुर | 124 | 56 | 26 | 10 | 0 | 92 | 32 |
| 14. | डूंगरपुर | 31 | 10 | 2 | 6 | 0 | 18 | 13 |
| 15. | हनुमानगढ़ | 80 | 44 | 0 | 13 | 0 | 57 | 23 |
| 16. | श्रीगंगानगर | 140 | 56 | 1 | 16 | 0 | 73 | 67 |
| 17. | जयपुर | 1108 | 312 | 2 | 147 | 0 | 461 | 647 |
| 18. | जैसलमेर | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 |
| 19. | जालोर | 65 | 29 | 14 | 4 | 0 | 47 | 18 |
| 20. | झालावाड़ | 159 | 80 | 0 | 19 | 0 | 99 | 60 |
| 21. | झुंझुनूं | 103 | 28 | 22 | 14 | 0 | 64 | 39 |
| 22. | जोधपुर | 236 | 74 | 29 | 41 | 1 | 145 | 91 |
| 23. | करौली | 102 | 33 | 24 | 6 | 0 | 63 | 39 |
| 24. | कोटा | 174 | 62 | 3 | 31 | 0 | 96 | 78 |
| 25. | नागौर | 126 | 49 | 11 | 15 | 0 | 75 | 51 |
| 26. | पाली | 138 | 62 | 24 | 12 | 0 | 98 | 40 |
| 27. | राजसमन्द | 62 | 27 | 5 | 5 | 0 | 37 | 25 |
| 28. | स. माधोपुर | 77 | 26 | 17 | 7 | 0 | 50 | 27 |
| 29. | सीकर | 172 | 62 | 0 | 22 | 0 | 84 | 88 |
| 30. | सिरोही | 52 | 25 | 6 | 8 | 0 | 39 | 13 |
| 31. | टोंक | 118 | 32 | 24 | 16 | 0 | 72 | 46 |
| 32. | उदयपुर | 154 | 55 | 0 | 20 | 0 | 75 | 79 |
| 33. | प्रतापगढ़ | 53 | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 | 21 |
| 34. | राज्य से बाहर | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| | **योग** | **4952** | **1795** | **464** | **658** | **1** | **2918** | **2034** |

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

## 01 अप्रेल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

| क्र.सं. | जिले का नाम | बालक से संबंधित (100.01 से 100.07) | स्वास्थ्य (200.01 से 200.03) | जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07) | अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03) | श्रमिकों से सम्बन्धित (500.01 से 500.06) | अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03) | पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19) | प्रदूषण (800.01 से (800.02 | धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01से 900.05) | महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10) | विविध (1001.01 से 1001.03) | ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11) | जिलेवार कुल प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 44 | 2 | 4 | 1 | 34 | 106 | 208 |
| 2 | अलवर | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 89 | 2 | 1 | 25 | 36 | 100 | 269 |
| 3 | बारां | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 67 |
| 4 | बांसवाड़ा | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 60 |
| 5 | बाड़मेर | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 38 | 89 |
| 6 | भरतपुर | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | 4 | 28 | 104 | 241 |
| 7 | भीलवाड़ा | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 2 | 12 | 99 | 163 |
| 8 | बीकानेर | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 18 | 58 | 120 |
| 9 | बूंदी | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 2 | 8 | 45 | 98 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 9 | 58 | 103 |
| 11 | चूरू | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 49 |
| 12 | दौसा | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 16 | 54 | 155 |
| 13 | धौलपुर | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 4 | 12 | 56 | 124 |
| 14 | डूंगरपुर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 31 |
| 15 | हनुमानगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 53 | 80 |
| 16 | श्री गंगानगर | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 15 | 72 | 140 |
| 17 | जयपुर | 13 | 57 | 26 | 11 | 2 | 8 | 239 | 5 | 4 | 27 | 342 | 374 | 1108 |
| 18 | जैसलमेर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 27 |
| 19 | जालौर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 65 |
| 20 | झालावाड़ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 14 | 92 | 159 |
| 21 | झुन्झुनू | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 14 | 43 | 103 |
| 22 | जोधपुर | 0 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 1 | 65 | 99 | 236 |

| क्र.सं. | जिले का नाम | बालक से संबंधित (100.01 से 100.07) | स्वास्थ्य (200.01 से 200.03) | जेल से संबंधित (300.01 से 300.07) | अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03) | श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06) | अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03) | पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19) | प्रदूषण (800.01 से (800.02 | धर्म/ समुदाय से संबंधित (900.01से 900.05) | महिलाओं से संबंधित (1000.01 से 1000.10) | विविध (1001.01 से 1001.03) | ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11) | जिलेवार कुल प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | करौली | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 2 | 1 | 17 | 44 | 102 |
| 24 | कोटा | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 1 | 20 | 82 | 174 |
| 25 | नागौर | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 33 | 60 | 126 |
| 26 | पाली | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 1 | 21 | 73 | 138 |
| 27 | राजसमन्द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 33 | 62 |
| 28 | सा. माधोपुर | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 19 | 27 | 77 |
| 29 | सीकर | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 2 | 3 | 28 | 71 | 172 |
| 30 | सिरोही | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 52 |
| 31 | टोंक | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 30 | 47 | 118 |
| 32 | उदयपुर | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 | 3 | 17 | 73 | 154 |
| 33 | प्रतापगढ़ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 53 |
| 34 | राज्य से बाहर | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 |
| | **कुल :** | **29** | **117** | **112** | **55** | **7** | **20** | **1371** | **21** | **37** | **101** | **905** | **2177** | **4952** |

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

## 31 मार्च 2013 तक कुल शेष प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

| क्र.सं. | जिले का नाम | बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07) | स्वास्थ्य (200.01 से 200.03) | जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07) | अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03) | श्रमिकों से सम्बन्धित (500.01 से 500.06) | अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03) | पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19) | प्रदूषण (800.01 से (800.02 | धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01से 900.05) | महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10) | विविध (1001.01 से 1001.03) | ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11) | जिलेवार कुल प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कुल :** | **22** | **93** | **49** | **26** | **6** | **13** | **671** | **19** | **27** | **44** | **715** | **349** | **2034** |

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

## आदेशिका

परिवाद संख्या : 11/24/566 दिनांक : 09.04.2012

### एकलपीठ

**समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुड़ी**

अख्तर अली खान अकेला एडवोकेट की ओर से एक परिवाद प्रस्तुत कर थाना उद्योग नगर, कोटा के बोरखेड़ी क्षेत्र में एक खानाबदोस परिवार रंग लाल के पुत्र को मानसिक रोगी होने के कारण हथकड़ियों एवं बेड़ियों से बांध कर रखे जाने बाबत् तथा उसे चिकित्सा उपलब्ध होने पर उसके स्वस्थ होने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी। ऐसा ही एक परिवाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली को भी अख्तर अली द्वारा प्रेषित किया था, जहां से अधिनियम की धारा 13 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु इस आयोग को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18.3.2011 को प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया जाकर जिला कलेक्टर, कोटा को निर्देशित किया गया था कि प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखकर आवश्यक कार्यवाही करावें एवं जांचोपरान्त की गयी कार्यवाही से आयोग को अवगत कराया जावे।

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस संबंध में अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा द्वारा पत्र जारी कर आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग, न्यू मेडिकल हॉस्पिटल, कोटा को उक्त मनोरोगी की जांच हेतु दिनांक 09.05.2011 को निर्देशित किया गया था, इसी प्रकार जिला कलेक्टर (सतर्कता) कोटा ने पत्रांक 3305 दिनांक 14.06.2011 द्वारा अवगत कराया है कि इस संबंध में उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा को निर्देशित भी किया था जिन्होंने पीड़ित बच्चे के पिता को परिवाद में अंकित पते पर निःशुल्क चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में सम्पर्क करने हेतु लिखा गया था तथा जिसकी जानकारी करने पर पीड़ित बालक खुमान पुत्र श्री रंगलाल हाल निवासी डेरा बोरखेड़ा पुलिस चौकी के पास कोटा को मनोचिकित्सा विभाग, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, रंगबाड़ी रोड़, कोटा में निःशुल्क ईलाज कराने हेतु बताये गये पते पर बस्ती वालों से जानकारी करने पर पाया गया कि श्री रंगलाल एवं उसका परिवार यहां पर करीब 4 माह पूर्व बोरखेड़ा पुलिस चौकी के पास अपने परिवार के साथ डेरा डालकर रहता था किन्तु वह लगभग पिछले 3 माह से यहां नहीं रहता है तथा उसके संबंध में अब कोई जानकारी नहीं है कि अब वह कहां रहता है। मौके पर की गई जानकारी के अनुसार श्री रंगलाल खानाबदोस की तरह रहता है तथा कुछ समय बाद अपना निवास बदलता रहता है, उसके स्थाई निवास के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना पाया गया इत्यादि।

प्रकरण में ऐसे पीड़ित मानसिक रोगी की व्यथा को देखते हुए उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से उचित तलाश एवं उसके पिता के नाम लिखे पत्रों से संबंधित विभागों की तत्परता अत्यन्त सराहनीय एवं मानवीय संवेदना के प्रति सजगता प्रकट करती है। किन्तु परिवादी के पिता द्वारा बार–बार स्थान बदलकर अन्यत्र चले जाने के कारण उसे खोज पाना

कठिन हो रहा है। इस संबंध में आयोग कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले श्री अख्तर खान अकेला, एडवोकेट जिन्होंने ऐसे पीड़ित बालक की व्यथा के बाबत् मानवीय संवेदना को जाहिर करते हुए आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है को भी आयोग कार्यालय द्वारा जिला कलेक्टर, कोटा की रिपोर्ट प्रेषित कर प्रतिक्रिया चाहे जाने बाबत् तीन बार सूचित भी किया गया है, किन्तु उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है।

उपरोक्त स्थिति में यद्यपि पीड़ित की खोज करने के प्रयास बावजूद भी उसके नहीं मिल पाने के कारण उसे उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है, फिर भी माननीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का यह नैतिक दायित्व है कि जिले की सीमा में पीड़ित के जहां कहीं भी उपलब्ध होने की जानकारी प्राप्त होने पर उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अतः इस संबंध में आदेश की प्रति जिला कलेक्टर, कोटा को प्रेषित कर पीड़ित की खोज करवाकर माननीय संवेदना को ध्यान में रखते हुये उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देर्शित किया जावे तथा आयोग स्तर पर अब प्रकरण को पत्रित किया जाता है।

**(एच.आर. कुड़ी)**
सदस्य

---

परिवाद संख्या : 11/18/2201 दिनांक : 24.08.2012

## एकलपीठ

**समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन**

श्री अशोक भाटी, अध्यक्ष, स्वास्तिक सेवा संस्थान, जैसलमेर को प्रस्तुत प्रकरण में अपने साक्ष्यों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु आयोग के पत्र दिनांक 8.05.2012 दिनांक 6.06.2012 द्वारा लिखा गया था एवं महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भी उनके द्वारा की गई जांच के संबंध में श्री भाटी को तलब किया गया था, किन्तु श्री भाटी उपस्थित नहीं आये एवं न ही कोई प्रतिक्रिया लिखित में प्रस्तुत की गई।

2. मेरे द्वारा इस प्रकरण के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा जांच कर भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक आईजीपी/रामाआ/12/98 दिनांक 13.04.2012 का अवलोकन किया। इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में विभिन्न स्तर पर जांच की जा चुकी है। पुलिस उप अधीक्षक, जैसलमेर द्वारा की गई जांच से श्री अशोक भाटी के परिवाद में लगाये गये आरोप साबित नहीं हुए है तथा जांच के दौरान परिवाद के साथ जिन महिलाओं के शपथ–पत्र लगे हुए हैं, उन्होंने परिवाद में लगे

हुए आरोपों की पुष्टि नहीं की है। एक अन्य परिवाद के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा भी एम.आर. मोरारका फाउण्डेशन द्वारा जिला जैसलमेर में कराये गये इन कार्यों के संबंध में जांच की थी एवं जांच से आरोप साबित नहीं हुए हैं।

3. श्री अशोक भाटी की शिकायत पर श्रीमती रोली सिन्हा, जोईन्ट डाईरेक्टर (टी.आई.), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा जांच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.02.2012 में भी उक्त आरोप अप्रमाणित माना है। उक्त समस्त जांच रिपोर्ट की प्रति महानिरीक्षक पुलिस, आयोग द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई जांच पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकरण में राज्य विशेष शाखा से भी महानिरीक्षक पुलिस द्वारा कुछ बिन्दुओं का सत्यापन कराया गया था।

4. विभिन्न विभागों द्वारा की गई जांच से श्री अशोक भाटी, अध्यक्ष, स्वास्तिक सेवा संस्थान, जैसलमेर द्वारा श्री एम.आर. मोरारका फाउण्डेशन के द्वारा जैसलमेर जिले में कराये गये कार्य के संबंध में तथा स्थानीय महिलाओं के चरित्र हनन के संबंध में किये गये आरोप अप्रमाणित हैं। इसके विपरीत श्री अशोक भाटी तथा उनकी संस्था स्वास्तिक सेवा संस्थान, जैसलमेर की गतिविधि संदिग्ध लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भाटी तथा जैसलमेर जिले के कुछ तथ्वों द्वारा मोरारका फाउण्डेशन द्वारा जैसलमेर जिले में किये गये कुछ अन्य कार्यों पर बिना कोई आधार आक्षेप लगाकर उन्हें बदनाम करने तथा उनके विरुद्ध विभिन्न विभागों में अनावश्यक रुप से जांच खुलवाने का प्रयास किया गया है। अतः परिवाद आयोग के स्तर पर पत्रित किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित किया जावे।

5. सचिव, आयोग को निर्देश दिये जाते हैं कि परिवादी श्री अशोक भाटी तथा उनके संस्थान के संबंध में की गई जांच के सामने आये तथ्यों को देखते हुए इनकी संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में रिकॉर्ड का संधारण आयोग के स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें ताकि भविष्य में ऐसी संदिग्ध संस्थाओं से परिवाद प्राप्त होने पर आयोग द्वारा आवश्यक सतर्कता बरती जा सके।

**(डॉ. एम.के. देवराजन)**
सदस्य

---

परिवाद संख्या : 12/27/505 दिनांक : 12.09.2012

## एकलपीठ

**समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन**

आदेश दिनांक 04.07.2012 की पालना में कार्यवाही उपरान्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एफ. 17/4 (ग) (1) मा.अ./न्याय/2008/6505 दिनांक 03.09.2012 का अवलोकन किया।

रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि में गुर्जर समाज के व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ होने से गुर्जर जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) में प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24.08.2012 को निर्णय पारित कर दिनांक 26.08.2012 को सम्बन्धित खातेदारान को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है।

2. जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक प–6 (  ) राजस/अप/परि/12/11453–55 दिनांक 28.06.2012 के अनुसार परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस थाना देवगढ़ पर दर्ज अपराध संख्या 59/12 धारा 3, 4 डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2006 व धारा 3 (4) (5) एससी/एसटी एक्ट में बाद अनुसंधान प्रकरण में चार्जशीट नं. 107/12 दिनांक 06.06.2012 को किता की जा चुकी है।

3. समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी, देवगढ़ श्री चतरसिंह, उपनिरीक्षक के विरुद्ध नियम 17 सी.सी.ए. रूल्स, 1958 के तहत विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर उप निरीक्षक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.09.2012 एवं जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.06.2012 की प्रति परिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई जावे।

4. परिवाद के सम्बन्ध में दर्ज अपराध में बाद अनुसन्धान चार्जशीट किता की जा चुकी है, पक्षकारों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाया जा चुका है तथा समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी की विभागीय कार्यवाही उपरान्त दण्डित किया जा चुका है। आयोग स्तर पर इस प्रकरम में आगे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने से परिवाद पत्रित किया जाता है। सम्बन्धित समस्त को तदनुसार सूचित किया जावे।

5. यह प्रकरण Reportable रहेगा।

**(डॉ. एम.के. देवराजन)**
सदस्य

---

परिवाद संख्या : 12/22/2767 दिनांक : 07.11.2012

**समक्ष : एकलपीठ**

**माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन**

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक य–2 (  ) जोध./पु. उपा. मु. एवं याता./कटिंग/12/3641–42 दिनांक 09.10.2012 तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर द्वारा प्रेषित

रिपोर्ट एफ. 2/सीईओ/पीए/2012/1075, दिनांक 02.11.2012 का अवलोकन किया। पुलिस आयुक्त, जोधपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे जोधपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही जारी रखें तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों एवं सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अपने–अपने स्तर पर कार्यवाही करें। पुलिस आयुक्त, जोधपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संतोषजनक प्रतीत होने से परिवाद आयोग स्तर पर पत्रित किया जाता है।

**(डॉ. एम.के. देवराजन)**

सदस्य

---

परिवाद संख्या : 12/01/3990 दिनांक : 08.11.2012

## एकलपीठ

**समक्ष : माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन**

दैनिक समाचार–पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 19.10.2012 में प्रकाशित ''बोर्ड बेखबर, इन हरकतों पर पत्रिका की नजर'' खबर आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुई। उक्त खबर के अनुसार अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर के आस–पास खड़े रहकर दलाल दूरदराज से आने वाले गरीब अभ्यार्थियों से रकम वसूल कर डुप्लीकेट दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। इस धन्धे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर तैनात गार्ड की भी मिलीभगत है। खबर के साथ एक गार्ड द्वारा किसी दो व्यक्तियों से कुछ प्राप्त करते हुए फोटो भी लिये हुए हैं। उक्त अखबार कटिंग की एक प्रति जिला कलक्टर, अजमेर को भेजी जाकर उनसे आग्रह किया जाता है कि इस संबंध में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही की जाकर आयोग को जांच रिपोर्ट दो महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उचित होगा कि इस संबंध में खुली जांच करने से पूर्व गोपनीय जांच कराई जावे तथा उससे सामने आये तथ्यों के आधार पर आगे जांच/कार्यवाही की जावे।

पत्रावली दिनांक 10.01.2013 को पेश हो।

**(डॉ. एम.के. देवराजन)**

सदस्य

---

परिवाद संख्या : 12/17/2391 दिनांक : 19.12.2012

## एकलपीठ

पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण व जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

परिवादिया ने प्रतिक्रिया प्रेषित नहीं की।

परिवादिया ने पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों के बाबत् इस आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था, जो आदेश दिनांक 4.6.2010 के द्वारा निस्तारित किया गया। परिवादिया ने अब पुनः आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है।

परिवादिया ने परिवाद में मुख्य रूप से यह कहा है कि बनवारीलाल मीणा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र विकास मीणा को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गयी। वर्तमान में वह पी.एफ. कार्यालय, ज्योति नगर, जयपुर में पदस्थापित है। उसने लक्ष्मण मीणा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ममता के साथ विवाह किया था। इस बाबत् पुलिस थाना नरैना में दिनांक 20.4.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2010 दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें पुलिस द्वारा विकास मीणा के विरुद्ध बाल विवाह अवरोध अधिनियम की धारा 9, 10, 11 व 16 के अपराधों के आरोप की चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। न्यायालय ने अभियुक्त को आरोप सुना दिया है।

आरोपी विकास मीणा ने नाबालिग लड़की के साथ विवाह कर उसे एक बच्ची की मां भी बना दिया। विकास मीणा ने आपराधिक कृत्य किया है। फिर भी पी.एफ. कार्यालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः उसे तुरन्त निलम्बित किया जावे।

पुलिस अधीक्षक ने अवगत करवाया है कि परिवादिया ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था, जो थाने में प्राप्त होने पर द.प्र.स. की धारा 156 (3) के अन्तर्गत दर्ज करने के पश्चात् अनुसंधान के बाद आरोपी विकास मीणा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इसकी सूचना पी.एफ. कार्यालय को भी भिजवायी जा चुकी है। जिला कलक्टर ने भी पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण की रिपोर्ट को आधारित कर यह अवगत करवाया है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इसकी सूचना पी.एफ. कार्यालय को दी जा चुकी है।

क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रिपोर्ट प्रेषित कर यह अवगत करवाया है कि आरोपी विकास मीणा के विरुद्ध बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु न्यायालय ने उसे अभी दोषी नहीं माना है। मामला न्यायालय में लम्बित है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 1.8.2007 से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस मामले में विभागीय कार्यवाही की जावे या नहीं। इसलिए इस संबंध में विभाग के अधिवक्ता से राय ली जा रही है। राय प्राप्त होने के बाद इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें विचारण जारी है। पी.एफ. कार्यालय ने भी अवगत करवाया है कि वे नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

अब आयोग स्तर पर इस मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परिवाद पत्रित किया जावे। आदेश की प्रति परिवादिया को भेजी जावे।

**(एच.आर. कुड़ी)**
अध्यक्ष

---

परिवाद संख्या : 12/17/1720 दिनांक : 22.01.2013

## एकलपीठ

**समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुड़ी**

इस प्रकरण में परिवादी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया है कि विधान सभा का बजट सैशन जल्दी ही बुलाये जाने की सम्भावना है तथा परिवादी को आशंका है कि इस सैशन के दौरान भी उसे पुनः प्रताड़ित व परेशान किये जाने की सम्भावना है। परिवादी ने निवेदन किया है कि आयोग के समक्ष लंबित इस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जावे, जिससे परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो सके।

हमने परिवादी के प्रार्थना–पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ई) के अन्तर्गत राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। आयोग द्वारा जांच पूर्ण कर, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करना, आयोग द्वारा संपादित जांच कार्यवाही के समापन के पश्चात् अंतिम चरण होता है तथा रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद राज्य सरकार के लिये यह आज्ञापक है कि वह आयोग की उक्त रिपोर्ट के संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ई) के अन्तर्गत एक माह में या आयोग द्वारा अनुमत अधिक समय में रिपोर्ट के संबंध में की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का वर्णन करते हुये टिप्पणी प्रेषित करें, किन्तु राज्य सरकार ने रिपोर्ट के संबंध में की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में आयोग को कोई टिप्पणी प्रेषित नहीं की है।

ऐसी स्थिति में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (एफ) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रेषित जांच रिपोर्ट को प्रकाशित (Publish) करने का आदेश पारित किया जाता है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद इसी अनुरूप निस्तारित किया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, राजस्थान सरकार एवं परिवादी को प्रेषित की जावे।

**(एच.आर.कुड़ी)**
अध्यक्ष

---

परिवाद संख्या : 12/17/2704 दिनांक : 22.2.2013

## एकलपीठ

**समक्ष : माननीय अध्यक्ष, श्री एच.आर. कुड़ी**

चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर 2000–2500 मरीज प्रत्येक दिन भर्ती रहते हैं तथा आउटडोर में 4500–5500 मरीज दिखाने आते हैं। अस्पताल में पदस्थापित स्टॉफ की कमी है। 50–60 मरीजों के वार्ड में एक ही नर्सिंग स्टॉफ रात्रिकालीन ड्यूटी पर रहता है, जिसका सो पाना संभव नहीं है। रेजीडेन्ट डॉक्टर दिन–रात मरीजों की देखभाल करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण करते है। समाचार–पत्र में प्रकाशित खबर के बाद स्टॉफ की मीटिंग लेकर स्टॉफ को संवेदनशील किया गया है। स्टॉफ हमेशा मुस्तैद रहता है। Matten office में Senior Nursing Staff/Componder की ड्यूटी रहती है। वह समस्त वार्ड का एवं आवश्यक सेवाओं का निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करते हैं। समय–समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है।

चिकित्सा अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सवाई मानसिंह अस्पताल में स्टॉफ की कमी है। स्टॉफ की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। जो भी स्टॉफ कार्यरत है, वह मुस्तैदी से कार्य करता है। 50–60 मरीजों के वार्ड में एक नर्सिंग स्टॉफ रहता है, जिसका सो पाना संभव नहीं है। फिर भी समय–समय पर स्टॉफ की चैकिंग की जाती है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्वीकृत पदों को अविलम्ब भरने हेतु प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को अनुशंषा प्रेषित हो।

इस आदेश की एक प्रति चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय को भी सूचनार्थ प्रेषित हो।

पत्रावली इसी अनुरूप पत्रित हो।

**(एच.आर.कुड़ी)**
अध्यक्ष

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

क्रमांक :

जयपुर, दिनांक : 24.01.2013

समस्त विभागाध्यक्ष,

राजस्थान, जयपुर

विषय : राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भेजे गये परिवादों की जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के पूर्व पत्र क्रमांक 11/17/171/8757, दिनांक 6.01.2012 के क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किये गये हैं। अतः भविष्य में आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे :–

1. आयोग द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाने पर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित परिवाद के आधार पर आवश्यक जांच एवं कार्यवाही की जाकर अधिकारी द्वारा जांच एवं कार्यवाही सही प्रकार हो चुकी है, संतुष्ट होकर रिपोर्ट आयोग को भेजी जावे।

2. विभागाध्यक्ष अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत करावें कि क्या परिवाद से संबंधित मुद्दे किसी न्यायालय, अधिकरण आदि के समक्ष विचाराधीन हैं, अगर विचाराधीन हैं तो किस के द्वारा प्रकरण न्यायालय/अधिकरण में दायर किया गया है, कौन–कौन पक्षकार हैं तथा वर्तमान स्थिति क्या है। अगर निर्णय हो चुका है तो निर्णय से भी अवगत करावें। इसी प्रकार उक्त परिवाद के संबंध में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अतिरिक्त अन्य किसी आयोग अथवा Statutory Organisation आदि द्वारा रिपोर्ट चाही गई है अथवा कोई निर्देश जारी किये गये हैं तो उससे आयोग को अवगत करावें।

3 विभागाध्यक्ष द्वारा कथित रूप से जांच कर आरोप साबित नहीं मानकर आयोग को भेजी गई रिपोर्ट्स पर संतुष्ट नहीं होकर आयोग स्वयं द्वारा जांच करने पर अथवा अन्य स्वतंत्र एजेन्सी से जांच कराने पर ऐसे कई मामलों में आरोप साबित होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ जांच अधिकारी गहराई में जाकर जांच नहीं करते हैं अथवा जांच केवल औपचारिकता स्वरूप की जाकर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तथा आयोग द्वारा जिन तथ्यों के बारे में जानकारी चाही जाती है उस विषय पर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने की बजाय वास्तविक तथ्यों के विपरीत अवांछित टिप्पणी करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। भविष्य में इस तरह के मामले आयोग के सामने आने पर आयोग इसे गम्भीरता से लेगा तथा जांच करने वाले अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्यवाही करने हेतु आयोग को विचार करना पड़ सकता है।

4. यह भी देखा गया है कि कई जांच अधिकारियों द्वारा जांच केवल उनके विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से की जाती है तथा परिवादी/पीड़ित पक्ष से पूछताछ भी नहीं की जाती है। सामान्यतः जांच परिवादी/पीड़ित पक्ष से शुरू होनी चाहिये तथा उन्हें अपने परिवाद के संबंध में मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये।

5. आयोग द्वारा किसी परिवाद के सम्बन्ध में जिस अधिकारी को बुलाया जाता है तो उन्हें स्वयं को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर वांछित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए न कि किसी अधीनस्थ को भेजकर। इसी तरह आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट सचिव/उप पंजीयक, आयोग को सम्बोधित कर (माननीय अध्यक्ष/सदस्य को नहीं) उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर भेजना चाहिए जिससे रिपोर्ट तलब की गई है। किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होगी।

6. आयोग द्वारा दस्तावेजों सहित जब किसी अधिकारी को तलब कर उस मामले में जानकारी चाही जाती है तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि न तो उन्हें परिवाद से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी होती है तथा उस विषय से सम्बन्धित केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम अथवा नियमों के सम्बन्ध में भी अनभिज्ञ रहते हैं। अतः आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारियों को चाहिए कि वे पूर्ण तैयारी के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होवें एवं वांछित पूर्ण जानकारी आयोग को उपलब्ध करावें।

7. कई मामलों में परिवाद में निर्धारित तारीख पेशी पर सम्बन्धित अधिकारी आयोग द्वारा बिना बुलाये ही अनावश्यक रूप से उपस्थित हो जाते है, जबकि आयोग द्वारा जब किसी अधिकारी को तलब किया जाता है तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाते हैं, अनावश्यक रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

8. आयोग के पूर्व पत्र दिनांक 6.01.2012 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि जांच रिपोर्ट के साथ अनावश्यक रूप से दस्तावेज/पत्राचार की प्रतियां नहीं भेजी जावें। इसके पश्चात् भी बहुत से विभागों द्वारा खास तौर पर शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा काफी मात्रा में अनावश्यक दस्तावेजों की प्रतियां करवाई जाकर आयोग को भेजी जा रही है। अतः उन्हें निर्देश दिये जाते है कि सामान्य तौर पर केवल Self contained जांच रिपोर्ट तैयार कर आयोग को भेजें एवं अगर कोई दस्तावेजों की प्रतियां भेजी जानी हैं तो केवल महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रतियां भेजी जावे।

9. कुछ मामलों में रिपोर्ट्स में यह अंकित किया जाता है कि परिवादी द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् अथवा दोनों पक्षों के आपस में समझौता होना बताकर लिखित में पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी सूरत में ऐसे प्रार्थना–पत्र की एक प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न कर भेजी जावें।

10. कुछ न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 176 के प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट के साथ मूल पत्रावली तथा अन्य साक्ष्य भी आयोग को अग्रेषित किये जाते हैं। धारा 176 द.प्र.सं. में जांच करने वाले समस्त न्यायिक/कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये जावें कि वे केवल जांच रिपोर्ट की प्रति आयोग को भेजें तथा मूल पत्रावली अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।

11. पुलिस विभाग द्वारा अनेक मामलों में एक तरफ आरोप सिद्ध नहीं होना लिखा जाता है एवं दूसरी ओर धारा 107, 116 (3) द.प्र.सं. में विपक्षीगण के विरुद्ध इस्तगासा दायर करना लिखते हैं। जब आरोप सिद्ध नहीं है तो केवल परिवादी द्वारा शिकायत करने से अथवा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा उस मामले में प्रसंज्ञान लेने से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनावश्यक रूप से निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। निरोधात्मक कार्यवाही शान्ति भंग का अंदेशा होने पर की जानी चाहिये, वह भी जिन व्यक्तियों द्वारा शान्ति भंग होने का अंदेशा हो, केवल उनके विरुद्ध।

12. आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स पर परिवाद संख्या, सन्दर्भ एवं आयोग द्वारा निर्धारित आगामी तारीख पेशी का उल्लेख आवश्यक रूप से करें।

13. आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट अगर विभागाध्यक्ष चाहें तो आयोग के ई–मेल address : rshrc@raj.nic.in पर भिजवाई जा सकती है।

भवदीय

**सचिव**

प्रतिलिपि उप पंजीयक, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि पैरा 1 में दिये गये निर्देशों के संबंध में एक मोहर तैयार कर विभागाध्यक्षों को भेजने वाले पत्रों में लगातार भेजी जावे।

**सचिव**

# माननीय आयोग के महोदय श्री एच.आर.कुड़ी द्वारा किये गये निरीक्षण, सभायें एवं मीटिंग का विवरण दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013

दिनांक 01.04.2012 को नागौर में छात्राओं, अध्यापकों, जन प्रतिनिधिगण एवं विशेष कर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मानव अधिकारों के संबंध में सम्बोधित किया, साथ ही वक्फ बोर्ड के चैयरमेन से मानव अधिकारों एवं अल्पसंख्यक विषय पर विचार–विमर्श किया।

दिनांक 04.04.2012 को लॉ कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल व अन्य से मानव अधिकार विषय पर चर्चा की। पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान व अन्य सदस्यगण के साथ मानव अधिकारों के संबंध में चर्चा की। डूंगरगढ़ के विधायक व जन प्रतिनिधिगण से मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया।

दिनांक 10.04.2012 को बीकानेर में श्रीगंगासिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति से मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में चर्चा की व सुझाव आमंत्रित किये।

दिनांक 11.04.2012 को जन प्रतिनिधिगण, छात्रों एवं आम नागरिकों के साथ मानव अधिकारों के संबंध में बैठक का आयोजन कर परिचर्चा की। रात्रि विश्राम बीकानेर में किया।

दिनांक 17.04.2012 को पिलानी बिड़ला शिक्षण संस्थान में मानव अधिकारों के संबंध में छात्रों एवं स्टॉफ से चर्चा की तथा आमजन के साथ परिचर्चा करके प्रचार–प्रसार किया।

दिनांक 22.04.2012 को नाथद्वारा में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद के साथ आयोग में लम्बित प्रकरणों के संबंध में बैठक कर विचार–विमर्श किया तथा बाल विवाह, जातीय पंचायत, डायन प्रथा आदि कुप्रथाओं से जुड़े बिन्दुओं के संबंध में विचार–विमर्श किया एवं इनकी रोकथाम के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

दिनांक 23.04.2012 को माउंटआबू में जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक जिला सिरोही के साथ बैठक कर मानव अधिकारों से जुड़े प्रकरणों बाल विवाह, जातीय पंचायत, डायन प्रथाओं आदि ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा कर उनकी रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये।

दिनांक 24.04.2012 को माउंटआबू में उपखंड स्तर के अधिकारीगण , एसडीओ, उप अधीक्षक पुलिस, नगरपालिका अध्यक्ष, एनजीओ एवं प्रेस के साथ मानव अधिकारों की जागरुकता एवं समाज की ज्वलंत समस्यायें बाल विवाह, डायन प्रथा एवं जातीय पंचायत आदि कुप्रथाओं से जुड़े बिन्दुओं के संबंध में विचार–विमर्श किया व आमजन के अभाव अभियोग सुने।

दिनांक 27.04.2012 को अजमेर में यूनिवर्सिटी कांफ्रेस हॉल में जेल सुधार एवं बंदियों के अधिकार के संबंध में 11.00 ए.एम. से 05.00 पी.एम. तक कार्यशाला में भाग लिया।

| |
|---|
| दिनांक 04.05.2012 को दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री पटेल एवं सैक्रेट्री जनरल से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य प्रणाली एवं मानव अधिकारों से जुड़े प्रकरणों के संबंध में चर्चा की। |
| दिनांक 27.05.2012 बीकानेर में अधिकारीगण एवं यूनिवर्सिटी के प्राचार्यगण से मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया एवं आमजन के अभाव अभियोग सुने। |
| दिनांक 22.06.2012 को बैंगलोर में मानव अधिकारों से जुड़ी समस्याओं एवं पुलिस की इस विषय में संवेदनशीलता के संबंध में कर्नाटक पुलिस अधिकारीगण से विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 23.06.2012 को मैसूर में कर्नाटक के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण से मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। |
| दिनांक 25.06.2012 को मैसूर की जेल का निरीक्षण कर बंदियों से उनके मानव अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं अभाव अभियोग सुने। |
| दिनांक 26.06.2012 को बैंगलोर में प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, महानिदेशक पुलिस एवं महानिदेशक कारागार से मानव अधिकारों, जेल सुधार, बंदियों के अधिकार एवं पुलिस की संवेदनशीलता के संबंध में बैठक कर विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 26.06.2012 को कर्नाटक मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण से बैठक कर मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली, समस्याऐं एवं सुधार आदि के बारे में विचार–विमर्श किया। कर्नाटक विधान परिषद के सचिव व अन्य अधिकारीगण से मानव अधिकार विषय पर विचार–विमर्श किया। |
| दिनाकं 20.07.2012 को अजमेर में महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज अजमेर से मीटिंग कर मानव अधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 21.07.2012 को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर का आकस्मिक निरीक्षण किया एवं जेल की व्यवस्था एवं सुरक्षा का जायजा लिया गया। साथ ही जेल स्टॉफ को बंदियों के मानव अधिकारों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। सर्किट हाउस, अजमेर में सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, एस.डी.एम. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के साथ मीटिंग कर मानव अधिकार आयोग में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में विचार–विमर्श किया एवं आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। |
| दिनांक 22.07.2012 को अजमेर में प्रेस के साथ मीटिंग कर मानव अधिकारों की जागरुकता एवं समाज की ज्वलंत |

| |
|---|
| समस्यायें बाल विवाह, डायन प्रथा एवं जातीय पंचायत आदि कुप्रथाओं से जुड़े बिन्दुओं के संबंध में विचार–विमर्श किया व आमजन के अभाव अभियोग सुने। |
| दिनांक 27.07.2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों की सेमीनार में भाग लिया। |
| दिनांक 29.07.2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान से दिल्ली प्रवास के दौरान मानव अधिकार विषय पर विचार–विमर्श एवं चर्चा की गई। |
| दिनांक 10.08.2012 को मेड़ता में प्रेस, मीडिया के साथ मानव अधिकार विषय के संबंध परिचर्चा की। |
| दिनांक 11.08.2012 को खींवसर थाने का निरीक्षण किया। |
| दिनांक 12.08.2012 केन्द्रीय कारागार जोधपुर का आकस्मिक निरीक्षण एवं जोधपुर लायन्स क्लब के पदाधिकारीगण के साथ मानव अधिकार विषयों के संबंध में परिचर्चा एवं हिन्दू मुस्लिम सम्प्रदायों के गणमान्य व्यक्तियों से सम्प्रदाय सद्‌भाव के संबंध में विचार–विमर्श किया तथा रोजा इफ्तार के समय मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों से मानव अधिकारों के संबंध में विशेष विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 30.08.2012 को केकड़ी में एकत्रित खदान मालिकों, मजदूरों, तकनीकी व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, आमजन एवं संघ के पदाधिकारीगण से माइन्स सेफ्टी एवं मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया। बूंदी में जिला न्यायपालिका, जिला प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण के साथ बैठक कर विचार–विमर्श किया। कोटा में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस अधिकारीगण के साथ बैठक की एवं जन सुनवाई की गई। |
| दिनांक 31.08.2012 को कोटा न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक की। बारां में जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधिकारीगण एवं जिला न्यायपालिका के साथ बैठक की एवं जनसुनवाई की गई। |
| दिनांक 02.09.2012 को आरपीएसपी के अध्यक्ष के साथ बैठक की। |
| दिनांक 05.09.2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं कार्यवाहक सचिव व रजिस्ट्रार से मुलाकात कर मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 08.09.2012 को श्रीगंगानगर में जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक से मीटिंग की एवं जनसुनवाई की गई। |

| |
|---|
| दिनांक 27.09.2012 को जोधपुर सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस आयुक्त एवं महानिरीक्षक पुलिस के साथ मानव अधिकारों एवं लम्बित प्रकरणों के संबंध में विचार–विमर्श किया तथा आमजन के साथ मुलाकात की। |
| दिनांक 28.09.2012 नागौर में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर मानव अधिकारों एवं लम्बित प्रकरणों के संबंध में विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 29.09.2012 को पुलिस थाना रोल (जिला नागौर) का निरीक्षण किया। |
| दिनांक 03.10.2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कम्प्युटरीकरण एवं अन्य प्रक्रिया के संबंध में रजिस्ट्रार व कम्प्यूटर से संबंधित अधिकारीगण के साथ विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 04.10.2012 को अलवर के जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक एवं कैम्प कोर्ट कर आयोग में लम्बित प्रकरणों के संबंध के मौके पर उपस्थित परिवादीगण एवं जांचकर्ता से सवाल जवाब किये गये तथा प्रकरणों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। |
| दिनांक 05.10.2012 को अलवर मुख्यालय पर क्षेत्र में अवैध खनन, औद्योगिक प्रदूषण विषय पर आयोजित सेमीनार में भाग लिया तथा प्रेस एवं मीडिया से मुलाकात की एवं जनसुनवाई की गई। |
| दिनांक 17.10.2012 को जोधपुर में सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर से मानव अधिकारों, बालश्रम रोकने एवं महिला अत्याचार रोकने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया है। |
| दिनांक 23.10.2012 को झुंझुनूं के शेखावाटी कॉलेज एवं स्कूल स्टॉफ, अधिकारीगण, प्रेस एवं विद्यार्थियों से मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 01.11.2012 को हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण के साथ मानव अधिकारों के संबंध में मीटिंग की गई। हनुमानगढ़ में न्यायिक अधिकारीगण एवं बार एसोसिएशन के साथ में मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। साथ ही जन सुनवाई एवं प्रेस के साथ मीटिंग की गई। |
| दिनांक 03.11.2012 को डीडवाना में जनसभा को शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास तथा मानव अधिकारों के संबंध में सम्बोधित किया। साथ ही कस्बे के अधिकारीगण के साथ मुलाकात की। |
| दिनांक 17.11.2012 को अजमेर में अध्यक्ष, राज लोक सेवा आयोग, अजमेर से मानव अधिकारों के संबंध में विचार–विमर्श किया। |
| दिनांक 24.11.2012 को नागौर में जन सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिलास्तरीय अधिकारीगण एवं प्रेस के साथ मानव अधिकारों के संबंध में मीटिंग की गई। |

| |
|---|
| दिनांक 26.11.2012 को बीकानेर में जन सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिलास्तरीय अधिकारीगण एवं प्रेस के साथ मानव अधिकारों के संबंध में मीटिंग की गई। |
| दिनांक 28.11.2012 को पुष्कर मेला प्रशासन के साथ मीटिंग कर मेले में की गई व्यवस्था का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। |
| दिनांक 02.12.2012 को पुष्कर में मेडिकल कैम्प का जायजा लिया तथा अधिकारीगण के साथ मीटिंग कर आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। |
| दिनांक 14.12.2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई में आयोजित नेशनल कांफ्रेंस **''मानव अधिकार शिक्षा''** में सम्मिलित हुआ। |
| दिनांक 20.12.2012 को उदयपुर में जिला कलेक्टर, महानिरीक्षक पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के साथ आयोग में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, बालश्रम रोकने, महिला अत्याचार रोकने एवं मानव अधिकारों के संबंध में मीटिंग की गई। |
| दिनांक 23.01.2013 को बीकानेर में सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारीगण के साथ सर्किट हाऊस बीकानेर में मानव अधिकार से जुड़े विषयों पर मीटिंग की गई। |
| दिनांक 24.01.2013 को एम.एल.ए. श्री पवन बंसल से पी.बी.एम. अस्पताल में मुलाकात कर उनके द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के कारणों के संबंध में चर्चा की। नागौर में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ आयोग में लम्बित प्रकरणों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। |
| दिनांक 04.02.2013 को नागौर बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर वक्त निरीक्षण मौजूद अधिकारीगण को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। |
| दिनांक 05.02.2013 को नागौर में समाज कल्याण छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा वक्त निरीक्षण मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। |
| दिनांक 23.02.2013 को डूंडलोद पहुंच कर शेखावाटी कॉलेज में अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं आमजन को मानव अधिकारों के बारे में व्याख्यान दिया गया। |
| दिनांक 10.03.2013 सूरत (गुजरात) में राजस्थानी समाज द्वारा, समाज में व्याप्त कुप्रथायें, समाज सुधार एवं मानव अधिकारों के संबंध में आयोजित सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। |
| दिनांक 23.03.2013 को जैसलमेर में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ आयोग में लम्बित प्रकरणों एवं मानव अधिकारों से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। |

**डॉ. एम.के. देवराजन, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 में निम्नांकित महत्वपूर्ण मीटिंग्स में भाग लिया गया :–**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012–13 | 30.07.2012 से 1.08.2012 | जोधपुर | मथुरादास माथुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जोधपुर के चिकित्सक एवं स्टॉफ के व्यवहार में सुधार लाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग तथा Confedration of Indian Industries (Rajasthan Chapter) के संयुक्त तत्वावधान में उक्त अस्पताल में दिनांक 30.07.2012 से 1 अगस्त, 2012 तक 6 अल्पकालीन सेमीनार ''Leading the way to success'' आयोजित की गई। उक्त सेमीनार से अस्पताल के करीब 450 चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ लाभान्वित हुआ तथा 1 अगस्त को अपराह्न मेडिकल कॉलेज में नये प्रवेश लिये गये MBBS छात्रों के लिये एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसे आयोग के माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन ने भी सम्बोधित किया। उक्त सेमीनार का संचालन Possiblers, New Delhi के श्री तपस महापात्र द्वारा किया गया। |

डॉ. एम.के. देवराजन, माननीय सदस्य, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निम्नांकित जिलों में केम्प–कोर्ट, जन सुनवाई एवं महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की मीटिंग आयोजित कर Briefing किया गया :–

| क्र.सं. | वर्ष | दिनांक | नाम जिला |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012–13 | 9.05.2012 से 10.05.2012 | स. माधोपुर |
| 2. | | 25.06.2012 | करौली |
| 3. | | 27.06.2013 | धौलपुर |
| 4. | | 30.07.2012 से 1.08.2012 | जोधपुर |
| 5. | | 20.12.2012 से 22.10.2012 | जोधपुर |
| 6. | | 29.10.2012 से 1.11.2012 | राजसमन्द |
| 7. | | 23.11.2012 | टोंक |
| 8. | | 7.12.2012 से 9.12.2012 | झुंझुनूं, पिलानी |

# वर्ष 2012–13 में (दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक) आयोग द्वारा सम्पादित किये गये मुख्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण

## 1. बैठकें

A दिनांक 22.05.2012 को कारागार विभाग के सोजन्य से जेल सुधार से संबंधित बैठक आयोजित की गई।

B दिनांक 30.05.2012 को जयपुर स्थित प्रमुख समाचार–पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

C दिनांक 27.06.2012 को आयोग सचिव के कक्ष में राज्य के विभिन्न आयोगों के सचिव/उप सचिव के साथ बैठक आयोजित की गई।

D दिनांक 11.02.2013 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में वरिष्ठजन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी।

## 2. कार्यशालायें

विभिन्न विषय में आयोग द्वारा निम्न कार्यशालायें आयोजित की गईः–

A. अजमेर में दिनांक 27.04.2012 को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई।

B. दिनांक 03.12.2012 को खान श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित एक राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

C. दिनांक 04.12.2012 को स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई।

D. दिनांक 05.12.2012 को उपेक्षित वर्गों के मानवाधिकारों से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई।

E. दिनांक 06.12.2012 को सड़क दुर्घटना एवं जीवन रक्षा से संबंधित कार्यशाला एवं लघु नाटिकाओं का मंचन स्वयंसेवी संस्था पीपल्स ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित की गई।

F. दिनांक 07.12.2012 को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा मानवाधिकारों की जागरुकता से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई।

G. दिनांक 08.12.2012 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मानवाधिकारों की जागरुकता से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई।

H. दिनांक 10.12.2012 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के सभागार में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया।

# श्री डी.के. बसु बनाम पश्चिमी बंगाल व अन्य याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जारी निर्देश

1. गिरफ्तार करने और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को सही दृश्यमान पहचान और अपने पदनाम सहित नामपट्टी धारण करनी चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों की प्रविष्टियां जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते है, एक रजिस्टर में अभिलिखित की जानी चाहिये।
2. यह कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई सदस्य या उस क्षेत्र जहां से गिरफ्तारी की गई है, का कोई सम्मानीय व्यक्ति हो सकेगा। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर भी करेगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख अन्तर्विष्ट होगी।
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है और जो किसी पुलिस शाखा या पूछताछ केन्द्रों या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जाता है, किसी मित्र या नातेदार या उसे जानने वाले या उसका भला चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जब तक कि गिरफ्तार के ज्ञापन को अधिप्रमाणित करने वाला साक्षी स्वयं उस गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या कोई नातेदार न हो, यथासमय शीघ्र यह सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अमुक स्थान पर निरूद्ध किया गया है।
4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा का स्थान, उस जिले में विधिक सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से गिरफ्तारी के पश्चात् 8 से 12 घण्टे की कालावधि के भीतर–भीतर तार द्वारा वहां अधिसूचित किया जाना चाहिये, जहां गिरफ्तार व्यक्ति का निकटतम मित्र या नातेदार जिले या नगर से बाहर निवास करता हो।
5. गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानकारी दी जानी चाहिये कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, उसे अपनी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना किसी व्यक्ति को देने का अधिकार है।
6. निरोध के स्थान पर व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में डायरी में प्रविष्टि की जानी चाहिये, जो उस व्यक्ति के वाद मित्र के नाम को जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उन पुलिस पदाधिकारियों के नाम और विशिष्टियां, जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है, को भी प्रकट करेगी।
7. गिरफ्तार व्यक्ति की, यदि वह ऐसा निवेदन करे, उसकी गिरफ्तारी के समय जांच भी की जानी चाहिए और गम्भीर और सामान्य चोटें, यदि उसके शरीर पर विद्यमान हो, उस समय अभिलिखित की जानी चाहिए। इस निरीक्षण ज्ञापन पर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाये।

8. गिरफ्तार व्यक्ति की, अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान प्रत्येक 48 घंटों में ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा की जायेगी जो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त किये गये अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल पर हो। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं समस्त तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसा पैनल बनायेगा।

9. ऊपर निर्दिष्ट गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भिजवायी जायेगी।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। किन्तु पूछताछ की पूर्ण अवधि के दौरान नहीं।

11. समस्त जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिये, जहां गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करने के 12 घंटों के भीतर–भीतर गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा के स्थान के संबंध में सूचना दी जायेगी।

# राज्य आयोग के कार्य

आयोग, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्–

(क) स्व–प्रेरणा से या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर–

(1) मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की, या

(2) किसी लोकसेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में बरती गई उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा,

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा,

(ग) राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

(घ) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं को अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

(ङ) उन कारकों का जिनमें उग्रवाद के कृत्य भी है, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते है, पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा।

(च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा,

(छ) समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशकों, साधनों (मीडिया) सेमीनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरुकता को विकसित करेगा,

(ज) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा,

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

# राज्य आयोग की शक्तियां

शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है–

1. साक्षियों को बुलाना तथा उनको परिक्षित करना एवं शपथ–पत्र पर उनकी परीक्षा करना।
2. किसी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना।
3. हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित करना।
5. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन गठित करना।
6. अन्य कोई विहित प्रकरण।

आयोग यदि किसी व्यक्ति से सुसंगत बिन्दुओं पर सूचना चाहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 एवं 177 के अधीन ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा। किसी भी स्थान के निरीक्षण हेतु आयोग किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 में निहित शक्तियां प्राप्त होगीं और वह किसी भी दस्तावेज का उद्धरण या प्रतिलिपि ले सकता है।

अनुसंधान हेतु आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सहमति से कर सकता है।

जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई भी अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया गया है, आयोग के निर्देश एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकेगी तथा उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकेगी एवं उसकी परीक्षा कर सकेगी।

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित कर सकेगी।

धारा 15 के उपबन्ध किसी अधिकारी या एजेन्सी के, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया गया है, के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी बयान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किन्हीं बयानों के संबंध में लागू होते हैं।

अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उप–धारा (1) के अधीन किया गया है, जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करेगी तथा उस पर प्रतिवेदन आयोग को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो इस संबंध में आयोग द्वारा विहित की जाएगी।

आयोग अभिकथित तथ्यों एवं उपधारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में निकाले गये परिणामों यदि कोई हो, की सत्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच (जिसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी शामिल है, जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की) करेगा, जो वह उचित समझेगा।

# शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई की प्रक्रिया

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में यह विहित किया गया है कि आयोग ऐसे समय एवं स्थान पर बैठक करेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझेगा। कार्य प्रणाली का निर्धारण आयोग द्वारा स्वयं किया जाता है।
2. कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 बनाए है।
3. आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आयोग द्वारा ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई–शिविर व बैठकें भी आयोजित की जाती है।
4. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाः–परिवादों को किसी भी माध्यम से यथा स्वयं उपस्थित होकर, पत्र द्वारा, फैक्स द्वारा, तार द्वारा आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। समाचार–पत्र में छपी खबरों पर भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है। परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ कोई फीस देय नहीं है। आयोग परिवाद के विषय में अतिरिक्त सूचनाऐं जो आवश्यक समझता है, मंगा सकता है। आवश्यकतानुरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे सकता है।
5. आयोग द्वारा साधारणतः ग्रहण नहीं करने योग्य परिवाद निम्न प्रकार हैः–
    1. अस्पष्ट या अनाम या अपठनीय, तुच्छ या अकारण किसी को परेशान करने वाले।
    2. किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित मामले।
    3. एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण।
    4. सिविल विवाद से संबंधित, जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदागत बाध्यताएं आदि।
    5. सेना से संबंधित विवाद।
    6. श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले।
    7. आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो।
    8. जहां अभिकथनों से मानवाधिकारों के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो।
    9. जहां मामला किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो।
    10. जहां मामला किसी न्यायिक अभिमत या आयोग के किसी विनिश्चय के अन्तर्गत आता हो।
    11. जहां आयोग को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रेषित परिवाद की प्रति प्राप्त हो।
    12. जहां मामला आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर हो।

परिवाद प्राप्त होते ही उनको वर्गवार छंटनी कर जांच हेतु संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। वर्गीकरण के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र– क अथवा ख में परिवाद भरे जाकर रजिस्ट्रीकरण अनुभाग को भेजे जाते हैं।

## 6. शिकायतों का पंजीयनः–

रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले प्रत्येक परिवाद के संबंध में जिला कोड और रजिस्ट्रीकरण के वर्ष सहित प्रकरण संख्यांक, डायरी संख्यांक डाले जाते हैं। रजिस्ट्रीकृत समस्त परिवाद यथासम्भव शीघ्र सात दिवस के अन्दर आयोग के समक्ष रखे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय के विशेष या साधारण आदेशों केअध्यधीन एकलपीठ, खण्डपीठ अथवा पूर्णपीठ द्वारा प्रकरण निपटाए जाते हैं।

प्रारम्भिक विचार के पश्चात्, यदि आयोग प्रकरण को खारिज करता है तो, परिवादी को सूचित किया जाता है। यदि परिवाद ग्रहण कर लिया जाता है या स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है तो नोटिस जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

आयोग की राय में जहां ऐसे व्यक्ति को जिसके आचरण की वह जांच करता है, या जहां उसकी राय में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिकूलता प्रभावित होनी सम्भाव्य है, अपने आधार के समर्थ में साक्षी यदि कोई हो, की प्रतिपरीक्षा के अवसर सहित, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है।

जांच के पश्चात् यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसे हनन रोकने की उपेक्षा की है तो आयोग उसके विरुद्ध अभियोजन या ऐसी कार्यवाही शुरू करने की अभिशंसा, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए जो भी आवश्यक हो, अनुरोध कर सकता है।

आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य/सदस्यों को, जिसे आयोग आवश्यक समझे, राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

# Rajasthan State Human Rights Commission
## Hon'ble Acting Chairperson

| | | |
|---|---|---|
| Name | : | **Shri H.R. Kuri** |
| Father's Name | : | Late Shri Tulsiram Kuri |
| Date of Birth | : | 3rd March, 1951 |
| Birth Place | : | Village-Somna, Distt. Nagaur |
| Wife's Name | : | Smt. Kamla Kuri |
| No. of Children | : | 2 Sons |
| Education | : | B.Sc. LL.B. |
| Religion | : | Hindu |

**Career-**

| ***Year*** | ***Details*** |
|---|---|
| 1976 | Joined Rajasthan Judicial Service |
| 1976-1989 | Munsif Magistrate |
| 1989-1991 | Addl. Chief Judicial Magistrate |
| 1991-1993 | Chief Judicial Magistrate |
| 1993 | Promoted to Higher Judicial Services |
| 1993-2000 | Addl. District and Sessions Judge & Addl. Registrar, High Court |
| 2000-June, 2002 | Legal Advisor, RPSC |
| June 2002 to 20 Sept., 2002 | Registrar (Classification & Vigilance) |
| 20.09.2002 to 28.07.2004 | Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly |
| 2004 | Judge, Labour & Industrial Tribunal, Kota |
| 2004-2006 | Director, Law, JDA, Jaipur |
| 2006-2007 | District & Sessions Judge, Sawai Madhopur |
| 2007 | Member Secretary, Rajasthan Legal Services Authority |
| 2007-2008 | District & Sessions Judge, Alwar |
| 17.07.2008 to 31.03.2011 | Secretary, Rajasthan Legislative Assembly |
| 01.09.2011 to 14.06.2012 | Hon'ble Member of Rajasthan State Human Rights Commission |
| 14.06.2012 | Hon'ble Acting Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission |

Address :

B-3 (1/27), Gandhi Nagar, Jaipur-302015

Phone No. :

Office 91-141-2227565

Res. 91-141-2707214

Fax No. :

Office 91-141-2227738

E-mail : rshrc@raj.nic.in

# Hon'ble Member
# Dr. M.K. Devarajan

Dr. M.K. Devarajan, born on May 19, 1951, hails from an agricultural family in Changanacherry, dist. Kottayam, Kerala. He graduated from University of Kerala in 1971 in B.Sc. (Special) in Zoology. While in service, he completed MBA in HR from Indira Gandhi National Open University, Delhi, in 1997 and Ph. D. from Dept. of Psychology, University of Rajasthan in 2006. The subject for his doctoral thesis was 'Attitudinal Changes for Better Policing'.

After doing two 2 year stints in the Ministry of External Affairs and Canars Bank, he joined the Indian Police Service in 1977 and was allotted to Rajasthan cadre. Apart from a five year stint in the Govt. of India as Asst. Director in Intelligence Bureau, he served in Rajasthan where he has worked as Asst. Superintendent of Police in Sri Ganganagar, Kota City and Baran; Superintendent of Police in Anti Corruption Bureau and districts Jhalawar, Nagaur, and Tonk; Dy. Inspector General of Police in Bikaner Range and Anti Corruption Bureau; Inspector General of Police in Bikaner Range and anti Corruption Bureau; Inspector General of Police in Crime Branch and Intelligence Branch; Additional Director General of Police, Re-organization & Technical, Headquarters, Planning & Welfare, and Intelligence; and Director General of Police, Anti Corruption Bureau and Training. He superannuated from the post of Chairman & Managing Director, Rajasthan Small Scale Industries Corporation on May 31, 2011. He joined Rajasthan State Human Rights Commission as a Member on September 1, 2011.

Dr. Devarajan has been a member of National Police Mission since its inception in 2008. He was the Group Leader of Micro Mission-2 of the above Mission from Dec. 2008 to May, 2011 and continues as a member since then. He has submitted several reports on Community Policing to Government of India in that capacity. He was an Adjunct Faculty Member of BITs, Pilani, for the academic years 2007-08 and 2008-09.

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

## वर्ष 2012-13

## आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एवं अधिकारीगणों के कार्यालय/आवास/मोबाईल/फैक्स नम्बर

| क्र. सं. | नाम | दूरभाष (का.) | फैक्स | दूरभाष/मो. (निवास) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एच.आर. कुड़ी<br>माननीय अध्यक्ष | 2227565 | 2227738 | 2707214<br>9829212199 |
| 2. | डॉ. एम. के. देवराजन<br>माननीय सदस्य | 2385102 | 2227738 | 2754275<br>9772511111 |
| 3. | श्री जंगा श्रीनिवास राव<br>महानिरीक्षक पुलिस | 2227090 | 2227738 | 2710054<br>9929799297 |
| 4. | श्रीमती संचिता बिश्नोई<br>उप सचिव | 2385101 | 2227738 | 2622790<br>9414152450 |
| 5. | उप रजिस्ट्रार | 2227183 | 2227738 | – |